



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



18 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 77 राँची, बुधवार,

7 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

14 दिसम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-7/2023 का.-25354(HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री दिलेश्वर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-768/03), तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-01, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के विरुद्ध उनके पदस्थापन काल में मुआवजा भुगतान से संबंधित एक ही मामले में दो विरोधाभासी निर्णय लेने यथा आयुक्त के सचिव, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबास के पत्रांक-1233, दिनांक-07.12.2007 में प्राप्त पृच्छाओं के आलोक में बिना गहन छानबीन किये उनके द्वारा सकारात्मक रूप से प्राक्कलन स्वीकृति हेतु अभिलेख उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां के समक्ष उपस्थापित करने एवं कालांतर में स्वयं इनके द्वारा तार्किक आदेश संख्या-444 दिनांक-27.06.2012 द्वारा आवेदकगण के दावा को निरस्त करने, महत्वपूर्ण संचिका में चार वर्षों तक कार्रवाई नहीं करने, महत्वपूर्ण मामलों को उच्च स्तरीय

पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करने हेतु अभिलेखों का स्पष्ट Movement संधारित नहीं करने, भू-अर्जन वाद संख्या- 20/87-88 में पंचाट घोषित होने के लगभग 22 वर्षों बाद आवेदकगणों के दावे का बिना जाँच पड़ताल एवं छानबीन के सकारात्मक रूप से भुगतान हेतु प्राक्कलन तैयार कर उच्च स्तर पर अनुमोदन हेतु उपस्थापित करने आदि संबंधी आरोप, जैसा कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 5910, दिनांक-23.11.2022 द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. श्री महतो के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3. अतः श्री महतो के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री महतो को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

5. श्री महतो द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि उप समाहर्ता, सरायकेला- खरसावां को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

7. विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री दिलेश्वर महतो, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक- 768/03) एवं श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DILESHWAR MAHTO BHR/BAS/3518	श्री दिलेश्वर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-768/03), तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-01, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
